

2018/01121

राजस्व लोक अदालत केम्प खट्टू तहसील पचपदरा  
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस मुकदमा न0 85 /2018

वादीनी :- 1 दलूदेवी पत्नि निम्बाराम जाट निवासी खट्टू

वनाम

प्रतिवादीगण :- 1. ग्राम पंचायत खट्टू  
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक:-30.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत खट्टू प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में संक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम खट्टू में विवादित ख0न0 168 ख0न0 562/156 रकबा 54.04 बीघा में जरिये रजिस्ट्री भूमि खरीद की उसमें सही नाम दर्ज है जबकि नामान्तरकरण संख्या 287 दर्ज करते समय वादीनी का नाम बलूदेवी पत्नि निम्बाराम दर्ज जो अशुद्ध है। जबकि मेरा सही नाम दलूदेवी पत्नि निम्बाराम है। हमारे दलूदेवी पत्नि निम्बाराम है। बलूदेवी पत्नि निम्बाराम अशुद्ध नाम को जगह सही नाम दलूदेवी पत्नि निम्बाराम करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज, सहकारी किसान कार्ड, आधार कार्ड परिचय पत्र पटवारी चान्देसरा/ आर0आई0 दुदवा की रिपोर्ट में वादी का नाम बलू पत्नि निम्बाराम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध नाम दर्ज होना बताया है जबकि रजिस्टर्ड दस्तावेज में दलूदेवी पत्नि निम्बाराम दर्ज है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है ग्राम ख0न0 क्रमशः ख0न0 168 ख0न0 562/156 रकबा 54.04 बीघा में वादीनी का नाम बलूदेवी पत्नि निम्बाराम के स्थान पर दलूदेवी पत्नि निम्बाराम नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी आशय की डिक्री जारी की जावें।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट केम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पंच सहायक कलेक्टर  
बालोतरा केम्प.....